न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—96 / 2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः—53,88 आरटीए

1. ललित शर्मा पुत्र कृष्णलाल जाति ब्राहम्ण साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया।
2. नरेश कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति ब्राहम्ण साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया।

—वादीगण

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्राहम्ण साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया।
2. मन्जू पत्नी राजकुमार पुत्री कृष्णलाल जाति ब्राहम्ण साकिन 18 बीबीसी इण्डिया वाली गली वार्ड नं. 10 ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद सिरसा।
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया। —प्रतिवादीगण

वादी ललित शर्मा ने यह वादपत्र अन्तर्गत खाता तकसीम व घोषणा के तहत पेश किया है कि वादीगण एवं प्रति संख्या 1 व 2 के संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी चक नं. 9 एसबीएन खाता संख्या 22 / 9 खाता कृष्णलाल जमान्दी सम्वत् 2070—73 में कुल 2.910 है. नहरी आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के उक्त खातो की जमाबन्दीयां संलग्न है जो वाद का आधार है।

दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त आराजी उनके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 की जद्दी जायदाद है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से बहिब का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादीगण के पक्ष में कर दिया है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी के वादीगण बहिब के हकदार व खातेदार काश्तकार है। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी व दावेदार है।

दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी का वादीगण ने काश्त की सुविधाओं को मध्यनजर रखते हुए तथा आराजी के एकीकरण के लिए अच्छी—मन्दी अनुसार घरू बंटवारा मुताबिक प्राप्त आराजी का वादीगण निम्नानुसार खाता अलग से कायम करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है—

वादी संख्या 1 ललित शर्मा पुत्र कृष्णलाल को प्राप्त हिस्सा—

चक नं. 9 एसबीएन के प.नं. 184 / 199 मु.नं. 47 कि.नं. 13—14 प्रत्येक .253, 15 / .215, 19—22—23 प्रत्येक .253 है. गै.मु.0.038 कुल 1.518 है.

वादी संख्या 2 नरेश कुमार पुत्र कृष्णलाल को प्राप्त हिस्सा—

चक नं. 9 एसबीएन के प.नं. 184 / 199 मु.नं. 47 कि.नं. 12 / .253, 16 / .215, 17—18—24 प्रत्येक .253 है.,25 / 0.108, गै.मु.0.057 कुल 1.392 है.

वादीगण दावा की दफा 5 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है लेकिन उक्त आराजी उक्तानुसार वादीगण के नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ता है,इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे वादीगण को दावा की दफा 4 के मुताबिक खातेदार काश्तकार मान वादीगण का खाता दावा की दफा 4 के मुताबिक अलग कायम करवा लेवें। इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त में दावा दायरी से एक सप्ताह पूर्व प्रतिवादीगण वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वाद कारण हैं।

उक्त दावा पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया,तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। मुकर्रा तारीख पेशी पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना जवाब दावा पेश किया जिसके साथ अपनी आईडी की स्वहस्ताक्षरित चित्र प्रति पेश की है पैरोकार राज की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। फार्म नं. 3 के साथ सरपंच ग्राम पंचायत रतनपुरा से जारी वारिसनामा मूल ही पेश किया है साथ में पैतृक सम्पति का साक्ष्य चक नं. 9 एसबीएन के खाता संख्या 42/44 प्रतिवादी संख्या 1 के पिता महावीर प्रसाद पुत्र रतीराम के नाम की जमाबन्दी सम्वत् 2058–61 की प्रमाणित प्रति पेश की है। वादपत्र में दर्ज आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में आराजी दर्ज है वह इन्हे विरास्तन मिला है। जमाबन्दी मूल ही शामिल मिसल की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई । वकील वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। पैतृक सम्पति से वाद वादीगण साबित है। वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब दावा व प्रस्तुत पैतृक सम्पति के दस्तावेज के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के पति महावीर प्रसाद के नाम से जमाबन्दी में दर्ज आराजी को वादीगण उपर्युक्तानुसार दर्ज करवाना चाहते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाब दावा व पैतृक सम्पति के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण सहमति के जवाब दावा के आधार पर स्वीकार किया जाता है कि चक नं. 9 एसबीएन के खाता संख्या 22/9 में दर्ज कुल आराजी 2.910 है. को वादी संख्या 1 ललित शर्मा पुत्र कृष्णलाल को प्राप्त हिस्सा–चक नं. 9 एसबीएन के प.नं. 184/199 मु.नं. 47 कि.नं. 13–14 प्रत्येक .253, 15/.215,19–22–23 प्रत्येक .253 है. गै.मु.0.038 कुल 1.518 है. तथा वादी संख्या 2 नरेश कुमार पुत्र कृष्णलाल को प्राप्त हिस्सा–चक नं. 9 एसबीएन के प.नं. 184/199 मु.नं. 47 कि.नं. 12/ .253, 16/.215, 17–18–24 प्रत्येक .253 है.,25/0.108, गै. मु.0.057 कुल 1.392 है.आराजी के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन कर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः इसी मुताबिक वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश जाते है तथा उक्त खाता में से प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णलाल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–96 / 2019

1. ललित शर्मा पुत्र कृष्णलाल जाति ब्राहम्ण साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया।
2. नरेश कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति ब्राहम्ण साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया।

–वादीगण

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्राहम्ण साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया।
2. मन्जू पत्नी राजकुमार पुत्री कृष्णलाल जाति ब्राहम्ण साकिन 18 बीबीसी इण्डिया वाली गली वार्ड नं. 10 ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद सिरसा।
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया। –प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्रसिंह सिद्धू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री गुरमीतसिंह कलसी वकील प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वाद वादीगण सहमति के जवाब दावा के आधार पर स्वीकार किया जाता है कि चक नं. 9 एसबीएन के खाता संख्या 22 / 9 में दर्ज कुल आराजी 2.910 है. को वादी संख्या 1 ललित शर्मा पुत्र कृष्णलाल को प्राप्त हिस्सा–चक नं. 9 एसबीएन के प.नं. 184 / 199 मु.नं. 47 कि.नं. 13–14 प्रत्येक .253, 15 / .215,19–22–23 प्रत्येक .253 है. गै.मु.0. 038 कुल 1.518 है.तथा वादी संख्या 2 नरेश कुमार पुत्र कृष्णलाल को प्राप्त हिस्सा–चक नं. 9 एसबीएन के प.नं. 184 / 199 मु.नं. 47 कि.नं. 12 / .253, 16 / .215, 17–18–24 प्रत्येक .253 है.,25 / 0.108, गै.मु.0.057 कुल 1.392 है.आराजी के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन कर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः इसी मुताबिक वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश जाते है तथा उक्त खाता में से प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णलाल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्..... निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 10.06.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया